16

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2376–पी.बी.आर./2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 24–4–2013 – पारित व्दारा – कलेक्टर जिला विदिशा – प्रकरण कमांक 22/2011–12 निगरानी

1– गनेश 2– कमरलाल पुत्रगण खुमान
3– श्रीमती शक्कर वाई पत्नि खुमान
4– श्रीमती कपूरी वाई पत्नि स्व.रामभरोसी
5– बल्लू पुत्र स्व.रामरोसी सभी निवासी
ग्राम उकायला तहसील बासौदा जिला विदिशा ––आवेदकगण

विरूद्ध

कमरलाल पुत्र धीरज सिंह काछी
ग्राम उकायला तहसील बासोदा जिला विदिशा –––अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर अनुपस्ति)

आ दे श

(दिनांक 1 मार्च; 2016 को पारित)

कलेक्टर जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 22/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–4–2013 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदक, भैयालाल एंव महिला राजावाई ग्राम उकायला की भूमि सर्वे नंबर 263 रकबा 0.115 हैक्टर के हिस्सा 1/3 समान भाग के भूमिस्वामी थे। भैयालाल ने अपने हिस्से की 1/3 भूमि पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 2–4–85 से खुमान को विकय कर दी। विकय पत्र के आधार पर ग्राम की नामान्तरण की पंजी के सरल कमांक 14 पर दि. 16–6–2000

से केता का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी गंज बासोदा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 32/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-5-2011 से अपील विलम्ब से प्रस्तुत में लगा समय क्षमा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला विदिशा के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 22/ 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 24-4-2013 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक से अपेक्षा की गई वह चाहे तो 10 दिवस के भीतर लेखी बहस प्रस्तुत कर सकते हैं , किन्तु समय व्यतीत होने के वाद भी लेखी बहस प्रस्तुत न करने पर यह आदेश पारित किया जा रहा है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ने ग्राम की नामान्तरण की पंजी के सरल क्रमांक 14 पर दिनांक 16-6-2000 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बासोदा के समक्ष दिनॉक 21-1-2011 को अपील प्रस्तुत की है एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है 10 वर्ष 2 माह से अधिक अवधि वाद अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के कारण बताते हुये अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये गये तथ्यों पर अनुविभागीय अधिकारी बसोदा ने उभय पक्ष को सुनकर विलम्ब को क्षमा किया है क्योंकि उन्होने विलम्ब के कारण समाधानकारक होना पाये है जिसके कारण कलेक्टर जिला विदिशा

ने प्रकरण कमांक 22/ 2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-4-2013 में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब क्षमा करने में सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्ष उचित पाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 - धारा-47 आदेश की कोई सँसूचना नहीं दी गई - आदेश की जानकारी होने के दिनांक से परसीमा की गणना की जायेगी।

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने न्यायदान की दृष्टि से समुचित आधार पाकर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 22/ 2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-4-2013 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर